



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गोदा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई. टी. पार्क, सहजधारा रोड, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com | दूरभाष 0135-2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री ठाकुर सिंह गड़िया, पुत्र श्री मदन सिंह गड़िया, निवासी ग्राम किरौली, पो0 सनेती, तहसील दुग्गाकुरी, जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम सुकाली गांव, तहसील दुग्गाकुरी, जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सुकाली गांव सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल - 2.231 है0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई आई ए. अधिसूचना 14.09.2006 (स्थासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हों - लोक सुनवाई की अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (I) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून (II) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोदा देवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आई0टी0 पार्क, सहजधारा रोड देहरादून (III) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (IV) कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर (V) कार्यालय, जिला पंचायत बागेश्वर (VI) जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

श्री ठाकुर सिंह गड़िया, पुत्र श्री मदन सिंह गड़िया, निवासी ग्राम किरौली, पो0 सनेती, तहसील दुग्गाकुरी, जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम सुकाली गांव, तहसील दुग्गाकुरी, जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सुकाली गांव सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल - 2.231 है0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 08/12/2023 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत् समय कोविड-19 के सन्दर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सांथल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवॉश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियों इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Amrudyada 25/10/2023



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार मोबाईल नं: 9412073716

विद्युत बन्दी सूचना

खण्ड के अन्तर्गत आने वाले समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, ज्वालापुर, (पिटकुल) में दीपावली पर्व के दृष्टिगत परिवर्तक की अनुसंधान एवं मरम्मत का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विद्युत उपकेन्द्र से पोषित 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थानों से पोषित होने वाले सम्बन्धित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति उनके सम्मुख अंकित दिनांक एवं समय को आंशिक / पूर्ण रूप से बाधित रहेगी।

क्र0 सं0	उपसंस्थान का नाम	फीडर का नाम	दिनांक व दिन	समय	प्रभावित क्षेत्र
1	33 / 11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, इन्द्रलोक।	उपसंस्थान से पोषित समस्त फीडर।	30.10.2023 / सोमवार	11:00 बजे से 14:00 बजे तक।	रावली मूहदूद, इन्द्रलोक, सिडकूल हाईवे, महादेवपुरम, नेहरू कालोनी व उपसंस्थान से पोषित अन्य सम्बन्धित समस्त क्षेत्र।
2	33 / 11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, ज्वालापुर-द्वितीय।	उक्त उपसंस्थान से पोषित होने वाले समस्त फीडर।			पाण्डेवाला, अहबाब नगर, धीरवाली, चाकलान, मालियान, लक्कडहाराण घोसियान, विष्णुलोक कालोनी, कडच्छ, तेलियान, कोटरवान, अम्बेडकर नगर, लोधामण्डी, कटहरा बाजार, सर्राफा बाजार, अम्बेडकर नगर, कैथवाडा, मंडी का कुआ एवं उक्त पोषक से पोषित समस्त क्षेत्र।
3	33 / 11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, कडच्छ	उक्त उपसंस्थान से पोषित होने वाले समस्त फीडर।			रेलवे रोड बाजार, शास्त्री नगर व उक्त उपसंस्थान से पोषित समस्त क्षेत्र।
4	33 / 11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, पी0ए0सी0।	उक्त उपसंस्थान से पोषित होने वाले समस्त फीडर।			शिवालिक नगर, पी0ए0सी0, टिहरी विस्थापित।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त समय में विद्युत एवं पानी की वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करने की कृपा करें। विद्युत बन्दी के समय सम्मानित उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की जाती है।

"विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाएं"
पत्रांक: 5057 / वि0वि0ख080 दिनांक: 27 / 10 / 2023
अधिसूचना अधिनियम
"राष्ट्र हित में विद्युत बचाये" टोल फ्री नं0 1800-419-0405

खर्चे चुकता होने तक बकाया है और लागत रु0 93,005.00 (रुपये तैरानवे हज) (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से) विरुद्ध हो गए हैं।
2. आपको सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के बसूली की जाएगी।
3. आपको यह आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख को या सम्पत्ति के विवरण को एक हलफनामे पर घोषित किया जाए।
4. आपको आगे कि कार्यवाही के लिए दिनांक 22.12.2023 को सुबह 10.30 सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।
5. उक्त घनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदा ए/इस प्रमाण पत्र / निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु लागत, प्रभार और खर्च।
नी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।
अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 20 अक्टूबर 2023 से जारी।
ऋण वसूली

पंजाब नैशनल बैंक

सर्कल शास्त्र केंद्र-हनुमान चौक
आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) / गारन्टर(ओं) उधार गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत ऋणी(ओं) / गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

क्रमांक	शाखा का नाम	खाता का नाम	अचल सम्पत्ति व सम्पत्ति स्वाग
1.	शाखा- न्यू टिहरी (330200)	ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति के समी 10, मागीरथीपुरम, पिटकुल क्षेत्रफल 3.93 सीमाएं-पूर्व-न्यू टिहरी परिवहन-टीएचडीसी की बिजली कि दुकान, दक्षिण कि दुकान, विक्रय विलेख नं0 501, पेज संख्या 47/1741, न्यू टिहरी सब-डिनांक 13.08.2008 को स्वामी श्री रमेश नैथवाल.
	ऋणी- श्री राहुल नैथवाल पुत्र श्री रमेश नैथवाल, पता-ग्राम टोडी, पट्टी सुकलपुर, बागी, मागीरथीपुरम, जिला- टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड- 249124, सह-ऋणी / गारन्टर / बंधक कर्ता - श्री रमेश नैथवाल पुत्र श्री पिगल दास नैथवाल पता-1.ग्राम-टोडी, पट्टी सुकलपुर, बागी, मागीरथीपुरम, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249124, पता-2-दुकान नं0 सी-10, मागीरथीपुरम, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड- 249124.		

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित की जायेगी। 2. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को या चूक के लिए जवाबदेही नहीं होगी। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरों द्वारा वेब साय 4:00 बजे तक 4.विस्तृत नियम व शर्तों की <https://eprocure.gov.in/epublish/app>, व www.pnb सस्यक करे। ई-मेल- cs8324@pnb.co.in
दिनांक: 27.10.2023

महिला सशक्तिक

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा "नन्दा गौरा योजना" पात्र लाभार्थियों/अभिभावकों से निम्न विवरण है-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवेदन करने आवेदन करने की छः माह की समय के अभिभावक ऑफ लाईन आवेदन 30 विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर
- जिन बालिकाओं के जन्म से छः माह के पूर्ण नहीं हुई हैं (30 नवम्बर, 2023 तक लाईन पोर्टल साईट- www.nandagaur
- वर्ष 2023 में इण्टर पास बालिकायें 30 साईट- www.nandagaurauk.in पर उ

अतः समस्त पात्र लाभार्थियों/अ वित्तीय वर्ष 2023-24 में "नन्दा गौरा योजना दिशानिर्देशानुसार निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत करें। उक्त के अतिरिक्त पोर्टल/योजना सम्म कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय/बाल विकास परि सकता है।

Child Help Line no. 1098 / WECD Uttarakhand